भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 351
27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में विभिन्न सिविल कार्यों के संबंध में डेटा

351. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास 01.04.2016 से 31.05.2024 की अवधि के दौरान दमन और दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग, ओपन आईडी कनेक्ट (ओआईडीसी), जिला पंचायत और स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा किए गए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक के विभिन्न सिविल कार्यों की संख्या से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) सारणीबद्ध रूप में कार्य के नाम, अनुमानित लागत, निविदा कार्य, बोली लगाने वालों के नाम, कार्य की मात्रा, अंतिम बिल राशि, कार्य शुरू करने और पूरा होने की तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिविल कार्यों के संचालन और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सिविल अवसंरचनात्मक कार्य के प्रचालन और प्रबंधन के लिए किराए पर ली गई सभी निजी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) 01.04.2016 से अब तक निजी एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंध का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण समिति, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), वन विभाग, स्थानीय स्वायत्त सरकारी निकायों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इन विभागों से जारी अनुमोदन/अनुमति/स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रतियां उपलब्ध हैं; और

(झ) 01.04.2016 से अब तक इन सभी सिविल कार्यों के लिए लागू आवश्यक अनुमति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) एमपीलैड योजना के अन्तर्गत, माननीय सांसद अपने विकास कार्यों की संस्तुतियाँ सीधे जिला प्राधिकरणों को भेजते हैं और ये संस्तुतियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं तथा तकनीकी नियमों तथा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार जिला प्राधिकरियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

दादर एवम् नागर हवेली और दमन एवम् दीव संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, एमपीलैड योजना के अन्तर्गत, दिनांक 01.04.2016 से 31.05.2024 की अवधि के दौरान पीडब्ल्यूडी, ओआईडी सी, जिला पंचायत और स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा 2 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी सिविल कार्य नहीं किया गया है।

(ख) से (झ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

******